

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार।

आरोपी रामनरेश पुत्र छोटेलाल निवासी : गोहद चौराहा सहित श्री मुकेश कुशवाह अधिवक्ता ने उपस्थित होकर उनका अभिभाषक पत्रक प्रस्तुत किया।

प्रकरण आज मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 483/2008 मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा विरुद्ध रामनरेश आदि में आरोपी रामनरेश के विरुद्ध अधिरोपित अर्थदण्ड 500/- रुपये वसूली हेतु नियत है।

आरोपी रामनरेश द्वारा अर्थदण्ड की राशि 500/- रुपये बुक क्रमांक 6908 एवं रसीद क्रमांक 42 पर जमा की गई। रसीद की पावती ली गई। रामनरेश की पहचान श्री मुकेश कुशवाह अधिवक्ता द्वारा की गई।

अर्थदण्ड की राशि अदा कर दिये जाने के कारण हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की गई।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

पंकज शर्मा
जे.एम.एफ.सी., गोहद